अनुलग्नक

फा.सं. 23/07/2015-जे एंड पीपी

गृह मंत्रालय

(न्यायिक एवं नीति आयोजना विंग, केन्द्र-राज्य प्रभाग)

दिनांक 01.02.2019 से 31.05.2019 तक अंतिम रूप दिए गए राज्य विधानों की सूची

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	अभ्युक्तियां
1)	मजदूरी का भुगतान (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2016	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.02.2019 को वापस ले लिया गया।
2)	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.02.2019 को वापस ले लिया गया।
3)	आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) इनाम (उन्मूलन तथा रैयतवाड़ी में परिवर्तन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018	अध्यादेश के प्रख्यापन हेतु राष्ट्रपति महोदय के अनुदेशों की सूचना दिनांक 19.02.2019 को राज्य सरकार को दे दी गई है।
4)	गुजरात आवास बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2018	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.02.2019 को वापस ले लिया गया।
5)	पंजीकरण (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2018	अध्यादेश के प्रख्यापन हेतु राष्ट्रपति महोदय के अनुदेशों की सूचना दिनांक 29.03.2019 को राज्य सरकार को दे दी गई है।
6)	कर्नाटक ऋण राहत अध्यादेश, 2019	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.03.2019 को वापस ले लिया गया।
7)	गुजरात स्वामित्व फ्लैट (संशोधन) विधेयक, 2018	राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 25.04.2019 को सहमति प्रदान की गई।
8)	दण्ड विधि (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2018	राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 25.04.2019 को सहमति प्रदान की गई।
9)	तमिलनाडु वन (संशोधन) विधेयक, 2019	राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 03.05.2019 को सहमति प्रदान की गई।
10)	दण्ड विधि (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक, 2018	राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 04.05.2019 को सहमति प्रदान की गई।
11)	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड विधेयक, 2018	राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 04.05.2019 को सहमति प्रदान की गई।
12)	दण्ड प्रक्रिया संहिता (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018	राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 04.05.2019 को सहमति प्रदान की गई।
13)	राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015	राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 06.05.2019 को सहमति प्रदान की गई।
14)	दण्ड विधि (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 2018	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.05.2019 को वापस ले लिया गया।

15)	बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2018	राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 20.05.2019 को सहमति प्रदान की गई।
16)	दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018	राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 20.05.2019 को सहमति प्रदान की गई।
17)	राजस्थान गोजातीय पशु (हत्या प्रतिषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति	पिछली स्वीकृति संबंधी अनुदेश की सूचना दिनांक 23.05.2019 को राज्य सरकार को दे दी गई है।

टिप्पणी : यह संयुक्त सचिव (सी एस), गृह मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(थांगखोलुन हाओकिप)
अवर सचिव (न्यायिक एवं नीति आयोजना)

* * * * * *